भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

INDIA

राजस्थान RAJASTHAN 834457

25 APR 2008

॥ श्री ॥

-: उपहार पत्र :-

आज दिनांक 07 मई सन् 2008 ईस्वी को यह उपहार पत्र **श्री रामलाल पुत्र श्री श्रीकिशन** आयु [illegible] वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम चतरपुरा उर्फ [illegible] अन्तर्गत तहसील सांगानेर जिला जयपुर, जिसे इस उपहार पत्र में प्रथमपक्ष उपहार कर्ता शब्द से सम्बोधित किया गया है, जिसमें प्रथमपक्ष के समस्त [illegible] एवं उत्तराधिकारी आदि सम्मिलित समझे जावेंगे की ओर से प्रबन्ध **रवि बाल भारती शिक्षा समिति** ग्राम नेवटा **तहसील सांगानेर जिला** जयपुर, रजिस्ट्रेशन नम्बर [illegible]/जयपुर/2001-2002, जरिये कोषाध्यक्ष श्री मुकेश चौधरी पुत्र श्री [illegible] चौधरी आयु 21 वर्ष निवासी [illegible]पुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर, जिसे इस उपहार पत्र में द्वितीयपक्ष उपहार ग्रहिता शब्द से सम्बोधित किया गया है, जिसमें द्वितीयपक्ष उपहार ग्रहिता के समस्त पदाधिकारी, प्रतिनिधी, एजेन्ट प्रशासक आदि भी सम्मिलित समझे जावेंगे, के हित में लिखा किया गया है।

क्रमशः ...2

उपहारकर्ता मुकेश

उप–पंजीयक

चूंकि ग्राम मेकड़ा अन्तर्गत तहसील सांगानेर जिला जयपुर में कृषि भूमि खसरा नम्बर 1735 रकबा 0.24 हैक्टयर है,स्थित है।उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि सम्पूर्ण की खातेदारी प्रथमपक्ष स्वंय के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकित है,तथा उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि सम्पूर्ण की कृषि भूमि सम्पूर्ण पर प्रथमपक्ष उपहार कर्ता स्वंय बिना किसी अन्य व्यक्ति के सीर,साझे व हिस्से के एकमात्र स्वामी के रूप में काबिज है,तथा उक्त वर्णित कृषि भूमि आज तक प्रत्येक प्रकार के रहन,भार,कर्जा,कुर्की,इकरारनामा आदि से मुक्त है,तथा हर प्रकार के झगड़ों व टंटों आदि से मुक्त है,तथा उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि सम्पूर्ण को हर प्रकार से हस्तान्तरित आदि करने के सम्पूर्ण अधिकार प्रथमपक्ष स्वंय को प्राप्त है।

चूंकि प्रथमपक्ष उपहारकर्ता द्वारा उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1735 रकबा 0.24 हैक्टयर में से रकबा 0.08 हैक्टयर सम्पूर्ण को द्वितीयपक्ष उपहार ग्रहिता के हक में उपहार करना तय किया है,तथा द्वितीयपक्ष उपहार ग्रहिता द्वारा उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि का उपहार ग्रहण करने को सहमत है।

अतएव प्रथमपक्ष उपहार कर्ता अपनी स्वस्थ इन्द्रिय तथा स्थिर बुद्धि की अवस्था में बिना किसी अन्य व्यक्ति के दबाव व आग्रह के उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर **1735 रकबा 0.24 हैक्टयर में से रकबा 0.08 हैक्टयर सम्पूर्ण को** द्वितीयपक्ष उपहार ग्रहिता के हक में उपहार करता है,तथा द्वितीयपक्ष उपहार ग्रहिता उक्त वर्णित कृषि भूमि का उपहार ग्रहण करना स्वीकार करता है,तथा प्रथमपक्ष उपहार कर्ता द्वारा उपहार की गई कृषि भूमि का कब्जा मौके पर वास्तविक रूप से द्वितीयपक्ष उपहार ग्रहिता को सौंप दिया है,आज से द्वितीयपक्ष उपहार ग्रहिता उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि पर प्रथमपक्ष उपहार कर्ता के समान एकमात्र स्वामी व काबिज हो गया है,तथा उक्त वर्णित कृषि भूमि के प्रथमपक्ष उपहार कर्ता के समस्त स्वत्वाधिकार द्वितीयपक्ष उपहार ग्रहिता में निहित हो गये है।आज से उपहार की गई कृषि भूमि सम्पूर्ण पर से प्रथमपक्ष उपहारकर्ता स्वयं का तथा उसके समस्त स्थानापन्नों,दायभागियों एवं उत्तराधिकारियों आदि का कोई हक, सम्बन्ध या वास्ता नहीं रहा है,और न आगे भविष्य में रहेगा।

क्रमशः....3

उप–पंजीयक
सांगानेर द्वितीय

आज दिनांक 7 माह मार्च सन् 2008 को 03:00 PM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री RAM LAL पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SHRIKISHAN
उम्र 31 वर्ष, जाति JAT व्यवसाय AGRICULTURE
निवासी CHATARPURA URF LALTA KA BAS SANGANER JAIPUR
ने यह लेखपत्र कार्यालय पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
(2008399001628)
(Gift Deed)

हस्ताक्षर उप पंजीयक
SANGANER-II

पंजीयन क्रमांक	[2008399001778]
दिनांक	[7-3-2008]
पंजीयन शुल्क रु०	4000
प्रतिलिपि शुल्क रु०	0
पृष्ठांकन शुल्क रु०	200
अन्य शुल्क रु०	0
कमी स्टाम्प शुल्क रु०	33060
कुल योग रु०	37260

(2008399001628) उपपंजीयक,SANGANER-II
((Gift Deed))

उक्त श्री/श्रीमती/सुश्री (Executant) Signature Photo Thumb

1-RAM LAL / SHRIKISHAN
उम्र 31 वर्ष जाति - JAT, व्यवसाय - AGRICULTURE
निवासी - CHATARPURA URF LALTA KA BAS SANGANER JAIPUR

(And Claimant)
1-SURESH CHOUDHARY ([illegible] BAL BHARTI SHIKSHA SAMITY) / DHANNA LAL CHOUDHARY
उम्र 31 वर्ष जाति JAT व्यवसाय SERVICE
निवासी KISHORPURA SANGANER JAIPUR

ने लेखपत्र Gift Deed को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया। प्रतिफल राशि रु० ____________ पूर्व में प्राप्त करना / के
रु० ____________ पूर्व में ____________ के समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान
1- श्री/श्रीमती/सुश्री RAJGOPAL
पुत्र /पुत्री /पत्नी श्री SITARAM
उम्र 30 वर्ष जाति JAT व्यवसाय BUSINESS
निवासी LALYA KA BAS,SANGANER,JAIPUR

2- श्री/श्रीमती/सुश्री JAGDISH PRASAD
पुत्र /पुत्री /पत्नी श्री KISHAN
उम्र 38 वर्ष जाति JAT व्यवसाय BUSINESS
निवासी LALYA KA BAS,SANGANER,JAIPUR

ने की है जिनके उपरान्त हस्ताक्षर एवं अंगूठा के निशान मेरे समक्ष लिये गये है।

यहकि उपहार की गई कृषि भूमि में प्रथमपक्ष उपहार कर्ता का अन्य कोई साझी या हिस्सेदार नहीं है,यदि कोई साझी या हिस्सेदार उत्पन्न होकर इस उपहार की गई कृषि भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई बाधा अथवा विवाद आदि उत्पन्न करेगा तो इस उपहार पत्र पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा।

यहकि उपहार की गई कृषि भूमि सम्पूर्ण पर द्वितीयपक्ष उपहार ग्रहिता आज से एकमात्र स्वामी व अधिकारी व काबिज वास्तविक रूप से हो गया है,तथा द्वितीयपक्ष उपहार ग्रहिता को उपहार में प्राप्त उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि सम्पूर्ण पर वे समस्त मालिकाना स्वत्वाधिकार प्राप्त हो गये हैं,जो आज तक प्रथमपक्ष उपहार कर्ता को प्राप्त थे,तथा द्वितीयपक्ष उपहार ग्रहिता को यह अधिकार है कि वह उपहार की गई कृषि भूमि को अपने अबाधित उपभोग में लेवे,राजस्व विभाग द्वारा उक्त कृषि भूमि का नामान्तरकरण अपने नाम से अंकित करावे,भूमि को किसी अन्य प्रयोजनार्थ रूपान्तरण करावे,निर्माण कार्य करावे, तात्पर्य यहकि आज से द्वितीयपक्ष उपहार ग्रहिता उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि सम्पूर्ण पर एकमात्र स्वामी के रूप में काबिज रहकर हर प्रकार से उपभोग व उपयोग करें।उपहार पत्र के निष्पादन सम्बन्धी समस्त व्ययभार प्रथमपक्ष उपहार कर्ता ने वहन किया है।

उपहार की गई भूमि कलवाड़ा-नेवटा रोड से 1/2 कि० मी० से अधिक दूर सम्पर्क सड़क पर स्थित है,भूमि मौके पर चिन्हित है।

यहकि उपहार की गई भूमि को लेख्य पत्र के साथ लगाये गये मानचित्र में पीले रंग से दर्शाया गया है,यह मानचित्र इस लेख्यपत्र का अभिन्न अंग रहेगा।

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र
प्रमाणित किया जाता है कि कुल मालियत
की मालियत रुपये 400000
मानी गई एवं कुल देय स्टाम्प शुल्क
राशि 34000 पर स्टाम्प शुल्क रुपये 4000 एवं रुपये 30000 जरिये चालान संख्या
[2008299001738]
दिनांक [7.5.2008] को जमा किये गये हैं।
अतः मालियत को रुपये 32000
को मूल्यांकित कर निर्धारित शुल्क प्राप्त है।

(2008299003028) उप पंजीयक, SANGANER-II
(सील दिनांक)

अतः दिनांक 7/5/2008 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 71
के पृष्ठ संख्या 149 क्रम संख्या 2008299001[illegible]
पंजीबद्ध किया तथा अतिरिक्त
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 283
के पृष्ठ संख्या 403 से 404
पर चस्पा किया गया।

(2008299003028) उप पंजीयक, SANGANER-II
(सील दिनांक)

अतः यह उपहार पत्र प्रथमपक्ष उपहार कर्ता ने अपनी निजी इच्छा व प्रसन्नता से स्टाम्प मुद्रांक कीमती 1000/- रुपये व तीन पेज पेपर पर लिख कर दिया सो प्रमाण रहे तथा आवश्यकता के समय काम आवे। इति।

लिखा दिनांक :- 07 मई सन् 2008 ईस्वी।

हस्ताक्षर प्रथमपक्ष उपहार कर्ता

हस्ताक्षर द्वितीयपक्ष उपहार ग्रहिता

साक्षी

नाम [illegible]

पिता का नाम [illegible]

आयु

जाति [illegible]

निवासी [illegible]

साक्षी :

नाम [illegible]

पिता का नाम [illegible]

आयु

जाति [illegible]

निवासी [illegible]

प्रारूपकर्ता

कमल मोहन गुप्ता

प्रोपर लेखक तहसील सांगानेर

दर्ज लाइसेंस संख्या 380 है।

उप-पंजीयक

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

सत्य प्रतिलिपि
[illegible]
पटवारी
[illegible]
[illegible]

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

राजस्थान RAJASTHAN 834158

।।श्री।।

-: उपहार पत्र :-

आज दिनांक 07 मई सन् 2004 ईस्वी को यह उपहार पत्र **श्री जगदीश प्रसाद पुत्र श्री श्रीकिशन** आयु 35 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम चतरपुरा उर्फ लालपाकलाका अन्तर्गत तहसील सांगानेर जिला जयपुर,जिसे इस उपहार पत्र में प्रथमपक्ष उपहार कर्ता शब्द से सम्बोधित किया गया है,जिसमें प्रथमपक्ष के समस्त स्थानापन्न,उत्तरभागी एवं उत्तराधिकारी आदि सम्मिलित समझे जायेंगे,की ओर से पक्ष **रवि बाल भारती शिक्षा समिति ग्राम नेवटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर**,रजिस्ट्रेशन नम्बर 240/जयपुर/2001-2002, जरिये सचिव श्री रामलाल जाट पुत्र श्री श्रीकिशन जाट आयु 31 वर्ष निवासी ग्राम चतरपुरा उर्फ लालपाकलाका अन्तर्गत तहसील सांगानेर जिला जयपुर,जिसे इस उपहार पत्र में द्वितीयपक्ष उपहार ग्रहिता शब्द से सम्बोधित किया गया है,जिसमें द्वितीयपक्ष उपहार ग्रहिता के समस्त पदाधिकारी,प्रतिनिधि,एजेन्ट,प्रशासक आदि भी सम्मिलित समझे जायेंगे,के हित में लेखन किया गया है।

क्रमशः...2

जगदीश प्रसाद

सचिव

रवि बाल भारती शिक्षा समिति

यहकि ग्राम नेवटा अन्तर्गत तहसील सांगानेर जिला जयपुर में कृषि भूमि खसरा नम्बर 1802 रकबा 0.19 हैक्टयर है,स्थित है।उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि सम्पूर्ण की खातेदारी प्रथमपक्ष स्वंय के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकित है,तथा उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि सम्पूर्ण की कृषि भूमि सम्पूर्ण पर प्रथमपक्ष उपहार कर्ता एवम बिना किसी अन्य व्यक्ति के शीर,साझे व हिस्से के एकमात्र स्वामी के रूप में काबिज है,तथा उक्त वर्णित कृषि भूमि आज तक प्रत्येक प्रकार के ऋण,भार,कर्जा,कुर्की,जमानत आदि से मुक्त है,तथा हर प्रकार के झगड़ों व टंटो आदि से मुक्त है,तथा उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि सम्पूर्ण को हर प्रकार से हस्तान्तरित आदि करने के सम्पूर्ण अधिकार प्रथमपक्ष स्वंय को प्राप्त है।

यहकि प्रथमपक्ष उपहारकर्ता द्वारा उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1802 रकबा 0.19 हैक्टयर सम्पूर्ण को द्वितीयपक्ष उपहार ग्रहिता के हक में उपहार करना तय किया है,तथा द्वितीयपक्ष उपहार ग्रहिता द्वारा उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि का उपहार ग्रहण करने को सहमत है।

अतएव प्रथमपक्ष उपहार कर्ता अपनी स्वस्थ इन्द्रिय तथा स्थिर बुद्धि की अवस्था मे बिना किसी अन्य व्यक्ति के दबाव व आग्रह के उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर **1802 रकबा 0.19 हैक्टयर सम्पूर्ण को** द्वितीयपक्ष उपहार ग्रहिता के हक मे उपहार करता है,तथा द्वितीयपक्ष उपहार ग्रहिता उक्त वर्णित कृषि भूमि का उपहार ग्रहण करना स्वीकार करता है,तथा प्रथमपक्ष उपहार कर्ता द्वारा उपहार की गई कृषि भूमि का कब्जा मौके पर वास्तविक रूप से द्वितीयपक्ष उपहार ग्रहिता को सौंप दिया है,आज से प्रथमपक्ष उपहार ग्रहिता उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि पर प्रथमपक्ष उपहार कर्ता के समान एकमात्र स्वामी व काबिज हो गया है,तथा उक्त वर्णित कृषि भूमि के प्रथमपक्ष उपहार कर्ता के समस्त स्वत्वाधिकार द्वितीयपक्ष उपहार ग्रहिता मे निहित हो गये है।आज से उपहार की गई कृषि भूमि सम्पूर्ण पर से प्रथमपक्ष उपहारकर्ता स्वंय का तथा उसके समस्त उत्तराधिकारियों,स्थलाभिषिक्तों एवं उत्तरदायित्वधारियों आदि का कोई हक, सम्बन्ध या स्वामित्व नहीं रहा है,और न आगे भविष्य में रहेगा।

क्रमशः...3

उपहारकर्ता [signature]

[signature]
उप पंजीयक
सांगानेर, जयपुर

[illegible] JAGDISH PRASAD पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SHRIKISHAN
उम्र 25 वर्ष, जाति JAT व्यवसाय AGRICULTURE
निवासी CHATARPURA URF LALYA KA BAS SANGANER JAIPUR
[illegible]

[illegible]
(20083906601636)
(Gift Deed)

[illegible]
SANGANER-II

[illegible]	[2008/9066 1730]
दिनांक	[7-5-2008]
[illegible]	3050
[illegible]	0
[illegible]	200
[illegible]	0
[illegible]	30790
[illegible]	84610

(2008/9066 1636) [illegible] SANGANER-II
(Gift Deed)

[illegible] (Donator)

Signature Photo Thumb

1 JAGDISH PRASAD / SHRIKISHAN
उम्र 25 वर्ष जाति - JAT व्यवसाय AGRICULTURE
निवासी - CHATARPURA URF LALYA KA BAS SANGANER JAIPUR

(And Claimant)

1 RAM LAL JAT (SECRETARY RAVI BAL BHARTI SHIKSHA SAMITI) / SHRIKISHAN JAT
उम्र 31 वर्ष जाति - JAT व्यवसाय BUSINESS
निवासी -CHATARPURA URF LALYA KA BAS SANGANER JAIPUR

[illegible] Gift Deed [illegible]
[illegible] ______ [illegible] ______ [illegible]
[illegible]

[illegible]

1. [illegible] RAMGOPAL
[illegible] SITARAM
उम्र 30 वर्ष जाति JAT व्यवसाय AGRICULTURE
निवासी LALYA KA BAS SANGANER JAIPUR

2. [illegible] SURESH
[illegible] DHANNA LAL
उम्र [illegible] वर्ष जाति JAT व्यवसाय AGRICULTURE
निवासी KISHORPURA SANGANER JAIPUR

[illegible]

(2008/9066 1636)
Gift Deed

[illegible], SANGANER-II

यहकि उपहार की गई कृषि भूमि में प्रथमपक्ष उपहार कर्ता का अन्य कोई साझी या हिस्सेदार नहीं है,यदि कोई साझी या हिस्सेदार उत्पन्न होकर इस उपहार की गई कृषि भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई दावा अथवा विवाद आदि उत्पन्न करेगा तो इस उपहार पत्र पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा।

यहकि उपहार की गई कृषि भूमि सम्पूर्ण पर द्वितीयपक्ष उपहार ग्रहिता आज से एकमात्र स्वामी व अधिकारी व काबिज वास्तविक रूप से हो गया है,तथा द्वितीयपक्ष उपहार ग्रहिता को उपहार में प्राप्त उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि सम्पूर्ण पर वे समस्त मालिकाना स्वत्वाधिकार प्राप्त हो गये है,जो आज तक प्रथमपक्ष उपहार कर्ता को प्राप्त थे,तथा द्वितीयपक्ष उपहार ग्रहिता को यह अधिकार है कि वह उपहार की गई कृषि भूमि को अपने प्रस्तावित उपयोग में लेवे,राजस्व विभाग द्वारा उक्त कृषि भूमि का नामान्तरकरण अपने नाम से अंकित करावे,भूमि को किसी अन्य प्रयोजनार्थ रूपान्तरण करावे,निर्माण कार्य करावे, तात्पर्य यहकि आज से द्वितीयपक्ष उपहार ग्रहिता उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि सम्पूर्ण पर एकमात्र स्वामी के रूप में काबिज रहकर हर प्रकार से उपयोग व उपभोग करे।उपहार पत्र के निष्पादन सम्बन्धी समस्त व्ययभार प्रथमपक्ष उपहार कर्ता ने वहन किया है।

उपहार की गई भूमि कालवाड़ा-नेवटा रोड से 1/2 कि0 मी0 से अधिक दूर स्थित है,सम्पत्ति में 350 वर्गफिट निर्माण है,भूमि मौके पर सिंचित है।

क्रमशः...4

सचिव
[illegible] शिक्षा समिति
[illegible] जयपुर

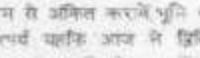

उप पंजीयक
सांगानेर द्वितीय

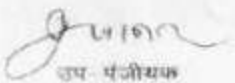

[illegible]
[illegible]
[illegible] 50+800
[illegible]
[illegible] 44440 [illegible]
[2008399001736]
दिनांक [7-5-2008] को [illegible]
[illegible]
[illegible]

(2008399001650) उप पंजीयक, SANGANER-II
(Gift Deed)

आज दिनांक 7/5/2008 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 71
के पृष्ठ संख्या 149 क्रम संख्या 2008399001[illegible]
रजिस्टर्ड किया तथा अतिरिक्त
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 383
के पृष्ठ संख्या 410 से 415
पर चस्पा किया गया।

(2008399001650) उप पंजीयक, SANGANER-II
Gift Deed

(8)

अतएव यह उपहार पत्र प्रथमपक्ष उपहार कर्ता ने अपनी निजी इच्छा व प्रसन्नता से एक मुद्रांक कीमती 100/- रुपये व तीन प्लेन पेपर पर लेख कर दिया जो प्रमाण रहे तथा आवश्यकता के समय काम आवे। इति।

लेख दिनांक :- 07 मई सन् 2008 ईस्वी।

हस्ताक्षर प्रथमपक्ष उपहार कर्ता

हस्ताक्षर द्वितीयपक्ष उपहार ग्रहिता

सचिव

[illegible]

साक्षी 1-

नाम [illegible]

पिता का नाम [illegible]

आयु 50 वर्ष

जाति [illegible]

निवासी ग्राम [illegible]

साक्षी 2-

नाम [illegible]

पिता का नाम श्री [illegible]

आयु [illegible] वर्ष

जाति [illegible]

निवासी ग्राम किशोरपुर।

[illegible]

प्रारूपकर्ता

कमल मोहन गुप्ता

प्रलेख लेखक तहसील [illegible]

जिसका रजिस्टर संख्या 17 है।